प्रैस की सूचना के लिए नोट (प्रैस विज्ञप्ति सं 13/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं में प्रावधानों हेतु सेवा प्राधिकारों के फ्रेमवर्क' पर अनुशंसाएं जारी कीं

नई दिल्ली, 21 फरवरी 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधानों हेतु सेवा प्राधिकारों के फ्रेमवर्क' पर अनुशंसाएं जारी की हैं।

2. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए, टेलीविजन चैनल अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग (टेलीपोर्ट सहित), एसएनजी/डीएसएनजी, डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी, एफएम रेडियो और सामुदायिक (कम्युनिटी) रेडियो स्टेशन (सीआरएस) जैसी प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा लाइसेंस/अनुमति पत्र/पंजीकरण पत्र जारी किए जाते हैं।

3. सरकार ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार अधिनियम, 2023 को अधिसूचित किया है, जोकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को निरस्त (रिपील) करता है। यद्यपि, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की विभिन्न धाराओं के कार्यान्वयन की नियत तिथि अभी अधिसूचित की जानी है तथापि दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए), दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक लोगों के लिए प्राधिकार (ऑथराईजेशन) को अनिवार्य बनाती है, ये सेवाएं निर्धारित शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों के अधीन है।

4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 25 जुलाई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑथराईजेशन के नियमों और शर्तो, जिसमें शुल्क या प्रभार लिया जाना भी शामिल है, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) के तहत भादूविप्रा से अनुशंसाएं मांगी हैं, इसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के साथ संरेखित किया है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच नियमों और शर्तों में सामंजस्य स्थापित किया है।

5. तदनुसार, 30 अक्टूबर 2024 को प्राधिकरण ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023, के तहत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए सर्विस आथराईजेशंस हेतु रूपरेखा' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी करते हुए परामर्श प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों की टिप्पणियाँ मांगीं। इसके उत्तर

में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। परामर्श प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, 18 दिसंबर 2024 को ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

6. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के साथ-साथ ओएचडी के दौरान एकत्रित इनपुट, विभिन्न प्रसारण नीति दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों की जांच करने, ट्राई की प्रासंगिक पूर्व सिफारिशों, जो सरकार के विचाराधीन हैं, को ध्यान में रखते हुए, और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने नियमों और शर्तों को एक सरलीकृत ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क में पुनर्गठित किया है, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023, के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ विधिवत संरेखित है और '**दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए सर्विस ऑथराईजेशन के फेमवर्क**' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप देता है। अनुशंसाओं का उद्देश्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूईंग) बढ़ाना है।

7. अनुशंसित ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क में नियमों और शर्तों के दो अलग-अलग सेट उपलब्ध हैं, पहला सेट, प्रसारण सेवाओं के लिए ऑथराईजेशन प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक इकाई के लिए है; और दूसरा सेट, ऑथोराईजेशन की अवधि के दौरान सेवा प्रावधान के लिए अधिकृत इकाई द्वारा अनुपालन के लिए है।

8. इन दो नियमों और शर्तों को नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाना है, अर्थात् '**प्रसारण (सर्विस ऑथराईजेशन प्रदान करना) नियम**' और '**प्रसारण (टेलीविजन चैनल प्रसारण, टेलीविजन चैनल वितरण और रेडियो प्रसारण) सेवाएं नियम**'।

9. प्रसारण सेवाओं के लिए अनुशंसित ऑथराईजेशन में टेलीविजन चैनल प्रसारण (उपग्रह आधारित/भूमि आधारित), टेलीविजन चैनल/चैनलों के लिए समाचार एजेंसी, टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब, विदेशी चैनल/समाचार एजेंसी द्वारा लाइव इवेंट/समाचार/फुटेज की अपलिंकिंग, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सर्विस, हेड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सर्विस, स्थलीय (टेरेस्ट्रियल) रेडियो सर्विस, सामुदायिक (कम्युनिटी) रेडियो स्टेशन और कम पावर वाली स्माल रेंज रेडियो सर्विस शामिल हैं।

10. अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं:

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस/अनुमति जारी करने की मौजूदा प्रथा के स्थान पर, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत प्रसारण सेवा प्राधिकार दिये जाएंगे। सर्विस ऑथराईजेशन के लिए नियम और शर्तों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 के तहत नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

- धारा 3(1)(ए) के तहत सेवा प्राधिकार का अनुदान प्राधिकार दस्तावेज़ के रूप में होनी चाहिए, जिसमें सेवा से संबंधित आवश्यक विवरण शामिल हों। प्राधिकार दस्तावेज़ का प्रारूप भी अनुशंसित किया गया है।

- "सेवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए नियम और शर्तों" को समान सेवाओं के लिए सामंजस्य स्थापित किया गया है और उसमें पात्रता मानदंड, आवेदन की प्रक्रिया और सेवा प्राधिकार के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक इकाई द्वारा अपेक्षित अन्य प्रासंगिक विवरण/सूचना दिया जाना शामिल किया गया है।

- मौजूदा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक के लिए उनके लाइसेंस/अनुमति की समाप्ति तक नई ऑथराईजेशन व्यवस्था में स्थानांतरण (माईग्रेशन) स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा, प्रसारण सेवाओं के मामले में स्थानांतरण के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं होगा। हालाँकि, संबंधित सर्विस आथराईजेशन की वैधता अवधि मौजूदा लाइसेंस/अनुमति की वैधता अवधि से परे, आथराईजेशन व्यवस्था में स्थानांतरण की तिथि से प्रभावी होगी ।

- प्राधिकरण की पूर्व अनुशंसाओं के आधार पर नई सेवाओं को शामिल करना, अर्थात् 'टेलीविजन चैनल का ग्राउंड-आधारित प्रसारण' और 'कम पावर वाली छोटी रेंज की रेडियो सेवा'।

- सेवा प्रावधान के लिए नियम और शर्तों में दो भाग शामिल हैं - सभी प्रसारण सेवा ऑथराईजेशन पर लागू 'सामान्य नियम और शर्तें' और सर्विस स्पेसिफिक ऑथराईजेशन पर लागू 'विशिष्ट नियम और शर्तें'।

- सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए यह संस्तुति की गई है कि सर्विस ऑथराईजेशन की शर्तों और नियमों में संशोधन (राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों को छोड़कर) करने के लिए भादूविप्रा की अनुशंसाओं की आवश्यकता होगी।

- रेडियो प्रसारण सेवाएं देनी वाली अधिकृत इकाईयों के लिए मेंडेटरी को-लोकेशन को हटा दिया जाना चाहिए।

- जहां भी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव हो, स्वैच्छिक आधार पर प्रसारण सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के बीच बुनियादी ढांचे को शेयर करने की संस्तुति की गई है।

- 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' की अधिकृत संस्थाएं उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (वेस्ट) को कम करने के लिए अंतर-संचालनीय (इंटरओपेरेबल) एसटीबी को अपनाने का प्रयास करेंगी।

- टीईसी अंतर-संचालनीय (इंटरओपेरेबल) एसटीबी और इनबिल्ट एसटीबी कार्यक्षमता वाले टेलीविजन सेटों के लिए मानक तैयार करेगा और उन्हे अधिसूचित करेगा।

- आईपीटीवी सेवा प्रदान करने हेतु इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ की शर्त को हटाने की संस्तुति की गई है और इसे दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले इंटरनेट सेवाओं के ऑथराईजेशन में निहित प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

- रेडियो प्रसारण सेवा के लिए नियम और शर्तों को प्रौद्योगिकी से स्वतंत्र (एग्नोस्टिक) बनाया गया है ताकि डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके।

- स्थलीय (टेरेस्ट्रियल) रेडियो सर्विस के लिए सर्विस ऑथराईजेशन को आवृत्ति का निर्धारण से अलग किया जाएगा और टेरेस्ट्रियल रेडियो सर्विस के लिए आवृत्ति निर्धारण हेतु स्पेक्ट्रम की नीलामी अलग से की जाएगी।

- रेडियो चैनल/चैनलों के प्रसारण के अतिरिक्त, टेरेस्ट्रियल रेडियो सर्विस के लिए अधिकृत इकाईयों को इंटरनेट के माध्यम से उसी कंटेंट को स्ट्रीम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसमें उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

- एमआईबी को रेडियो ब्रोडकास्टिंग सर्विस प्रोवाईडर्स के लिए अलग प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड निर्धारित करना चाहिए।

- विभिन्न प्रसारण सेवाओं, विशेष रूप से 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' के लिए शुल्क और प्रभार सहित नियम और शर्तों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। अनुशंसित प्रमुख वित्तीय मानदंड निम्नानुसार हैं:

शर्तें	मौजूदा	संस्तुत
डीटीएच सेवाओं के लिए आथराईजेशन शुल्क (पूर्ववर्ती लाइसेंस शुल्क)	एजीआर का 8%	एजीआर का 3%, तीन साल में घटाकर 'शून्य' किया जाएगा
रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए आथराईजेशन शुल्क (पूर्ववर्ती वार्षिक शुल्क)	• जीआर का 4% या NOTEF का 2.5%, जो भी अधिक हो; • पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और द्वीप क्षेत्रों के लिए जीआर का 2% या NOTEF का 1.25% (प्रारंभिक 3 वर्ष के लिए, उसके बाद उपरोक्त)	• सभी शहरों के लिए एजीआर का 4%; • पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और द्वीप क्षेत्रों के लिए एजीआर का 2% (शुरुआती 3 वर्षों के लिए, उसके बाद उपरोक्त)

डीटीएच सेवा के लिए बैंक गारंटी	प्रारंभिक 5 करोड़ रुपये, उसके बाद दो तिमाहियों का लाइसेंस शुल्क	5 करोड़ रु या दो तिमाहियों के लिए ऑथराइजेशन शुल्क का 20%, जो भी अधिक हो
एचआईटीएस सेवा के लिए बैंक गारंटी	प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपये	ऑथराईजेशन की वैधता हेतु 5 करोड़ रुपये
एचआईटीएस सेवा के लिए प्रोसेसिंग फीस	1 लाख रुपए	10000 रुपये
एचआईटीएस सेवा के लिए वैधता अवधि	प्रारम्भ में 10 वर्ष-नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं	20 वर्ष, एक बार में 10 वर्ष के नवीकरण के साथ
टैरीटोरियल रेडियो सेवा हेतु नवीनीकरण अवधि	एफएम रेडियो में नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं	एक बार में 10 वर्षों के लिए नवीकरण

11. वित्तीय आवश्यकताओं के सामंजस्य के अलावा, भादूविप्रा के द्वारा सामान्य नियमों और शर्तों के सामंजस्य, समान सेवाओं (डीटीएच और एचआईटीएस) के लिए दायित्वों को लागू करना, बुनियादी ढांचे को साझा करने में सक्षम प्रावधान, आपातकाल/आपदा के मामले में लागू प्रावधान, निगरानी और निरीक्षण, नियमों का उल्लंघन, टेलीविजन प्रसारण/वितरण सेवाओं और रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए लागू कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड की सिफारिश की गई है।

12. उपर्युक्त अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए डॉ. दीपाली शर्मा, भादूविप्रा की सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 21/2/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा